

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-1726

दिनांक:- 21/07/2023

लोक सूचना

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 90-क के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का गैर-कृषिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान्/हितधारी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा/सहमति पत्र भूमि हस्तान्तरित होने के कारण **हसनपुरा ए गृह निर्माण सहकारी समिति लि. जयपुर** की आवासीय योजना **आदिनाथ नगर** के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार अधिनियम की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90-क, धारा 91 संपठित धारा 90-क(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 (11) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत पर्यावक्षित किए जाने योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क, धारा 91 संपठित धारा 90-क (5) एवं संपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 (11) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावक्षित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुनर्ग्रहित कर लिया जावे।

क्र.सं.	ग्राम/ तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्ट. में)	वर्तमान खातेदार का नाम
1.		143	0.54	ओमप्रकाश पुत्र गंगासहाय हिस्सा- 1307/54444
2.		144	0.75	जाति- महाजन सा. खेडी गोकुलपुरा, खातेदार
3.		145	0.66	कमलाप्रसाद पुत्र घासीलाल हिस्सा- 1/32 जाति- महाजन
4.		146	0.54	सा. खेडी गोकुलपुरा, खातेदार
5.		147	0.23	कैलाशप्रसाद पुत्र राधेश्याम हिस्सा- 1/24 जाति- महाजन
6.		148	0.96	सा. खेडी गोकुलपुरा, खातेदार
7.		150	0.14	गणेशनारायण पुत्र श्योनारायण हिस्सा- 1/24 जाति-
8.		151	0.53	महाजन सा. खेडी गोकुलपुरा, खातेदार
9.		152	0.34	देवीनारायण पुत्र श्योनारायण हिस्सा- 1/24 जाति- महाजन
10.		153	0.06	सा. खेडी गोकुलपुरा, खातेदार
11.		154	0.12	दिनेशकुमार खण्डेलवाल पुत्र भंवरलाल गुप्ता हिस्सा-
12.		155	0.73	641/36296 जाति- महाजन निवासी प्लॉट नं.16-17;
13.		158	0.35	महावीरनगर-बी, रेल्वे स्टेशन रोड़, सांगानेर, खातेदार
14.		159	0.28	नवलकिशोर पुत्र घासीलाल हिस्सा- 1/32 जाति- महाजन
15.		160	0.81	सा. खेडी गोकुलपुरा, खातेदार
16.		161	1.13	भगवानसहाय पुत्र घासीलाल हिस्सा- 1/32 जाति- महाजन

उपायुक्त-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102719

दिनांक: 21/07/2023

लोक सूचना

मैसर्स केडिया लेण्डमार्क एल.एल. जरिये पार्टनर श्री निर्मल केडिया पंजीकृत कार्यालय दुकान नं 10 11, प्रथम फ्लोर गणेश नगर, 6-ए, बेनाड रोड, नियर नाडी का फाटक, जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	कलवाडा, सांगानेर (जयपुर)	मैसर्स केडिया लेण्डमार्क एल.एल. जरिये पार्टनर श्री निर्मल केडिया पंजीकृत कार्यालय दुकान नं 10 11, प्रथम फ्लोर गणेश नगर, 6-ए, बेनाड रोड, नियर नाडी का फाटक, जयपुर।	1091	3300	0.33
			1092	2200	0.22
			1093	4200	0.42
			1094	2600	0.26
			1096	10900	1.09
			1097	10600	1.06
			3042/1100	1000	0.10
			3044/1104	700	0.07
			3046/1105	400	0.04
			3048/1106	2250	0.2250
			3049/3043	795	0.0795
			3051/3045	360	0.0360
			3053/3047	2795	0.2795
			1107	8300	0.8300
			1108	6300	0.6300
			1109	3650	रकबा 0.39 हेक्ट में से रकबा 0.3650 हेक्ट
			1110	3700	0.3700
1114	200	0.0200			
1115	5300	0.5300			
1116	9900	0.9900			
1118/2783	1800	0.1800			
1138	300	0.0300			

उपायुक्त जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर


कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			1139	7700	0.7700
			1140	9700	रकबा 1.14 हैक्ट में से रकबा 0.97
			1141	1050	रकबा 0.40 हैक्ट में से रकबा 0.1050 हैक्ट
				कुल	10.00

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **21-07-2023** को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपायुक्त जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.ida.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102723

51-3291

DATED- 21/7/23

लोक सूचना

खातेदार आवेदक केसरा, छोडु, बाबू, रामनारायण एवं लल्लू पुत्रान कल्याण सा. देय खातेदार द्वारा इस कार्यालय मे नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिले सहित ग्राम तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
ग्राम-रामनगरिया	केसरा पुत्र कल्याण हिस्सा 1/5,	318	1.3400 हैक्टेयर में से 0.1900 हैक्टेयर
तहसील-सांगानेर	छोडु पुत्र कल्याण हिस्सा 1/5,	329	0.0100 हैक्टेयर
जिला-जयपुर	बाबू पुत्र कल्याण हिस्सा 1/5,	330	1.2000 हैक्टेयर
	रामनारायण पुत्र कल्याण हिस्सा 1/5	345	0.4300 हैक्टेयर
	लल्लू पुत्र कल्याण हिस्सा 1/5	346	0.3200 हैक्टेयर में से 0.1700 हैक्टेयर
	निवासी बी-70 बैंक आफिसर्स कॉलोनी, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर एवं बी-102 बैंक आफिसर्स कॉलोनी, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर		
	कुल	कुल किता 05	रकबा 3.3000 हैक्टेयर में से 2.0000 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने ओर अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 21/7/23 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-9

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपी-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-9

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

[रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सफिल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (8320); फैक्स: +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/102722 / 57-3272

DATED- 21/7/23

लोक सूचना

खातेदार आवेदक केसरा, छोडु, बाबू, रामनारायण एवं लल्लू पुत्रान कल्याण सा. देय खातेदार द्वारा इस कार्यालय मे नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

जिले सहित ग्राम तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
ग्राम-रामनगरिया	केसरा पुत्र कल्याण हिस्सा 1/5,	311	0.7000 हैक्टेयर
तहसील-सांगानेर	छोडु पुत्र कल्याण हिस्सा 1/5,	318	1.3400 हैक्टेयर में से 1.1500 हैक्टेयर
जिला-जयपुर	बाबू पुत्र कल्याण हिस्सा 1/5,	346	0.3200 हैक्टेयर में से 0.1500 हैक्टेयर
	रामनारायण पुत्र कल्याण हिस्सा 1/5		
	लल्लू पुत्र कल्याण हिस्सा 1/5		
	निवासी बी-70 बैंक आफिसर्स कॉलोनी, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर एवं बी-102 बैंक आफिसर्स कॉलोनी, रामनगरिया, जगतपुरा, जयपुर		
	कुल	कुल किता 03	रकबा 2.3600 हैक्टेयर में से 2.0000 हैक्टेयर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दरस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 21/7/23 को जारी की गयी।

21/7/23

प्राधिकृत अधिकारी जोन-9

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपी-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को आम सूचना

का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।

21/7/23

प्राधिकृत अधिकारी जोन-9

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

[रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीवीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (8320): फैक्स- +91-141-2574555

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक. LU2012/JDA/2023-24/102727

दिनांक 21/07/2023

लोक सूचना

श्री नवल किशोर गुप्ता पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता जाति महाजन निवासी प्लॉट नं. 57, माडल टाउन कॉलोनी, खेजडों का बास, न्यू सांगानेर रोड, सेन्ट विल्फ्रेड कॉलेज के सामने, मानसरोवर, जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	श्री नवल किशोर गुप्ता पुत्र श्री ओम प्रकाश गुप्ता जाति महाजन निवासी प्लॉट नं. 57, माडल टाउन कॉलोनी, खेजडों का बास, न्यू सांगानेर रोड, सेन्ट विल्फ्रेड कॉलेज के सामने, मानसरोवर, जयपुर।	1282/1045	265	रकबा 0.13 हेक्टे में से रकबा 0.0265
			1286/758	245	रकबा 0.04 हेक्टे में से रकबा 0.0245
				कुल	0.0510

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 21-07-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक LU2012/JDA/2023-24/102725

दिनांक: 21/07/2023

लोक सूचना

मैसर्स सेकेड हाउसिंग प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री संजय चौधरी पंजीकृत कार्यालय आर-7, वृन्दावन सिटी विस्तार, अजमेर रोड, जयपुर


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्ट.)
1.	पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	मैसर्स सेकेड हाउसिंग प्रा.लि. पंजीकृत कार्यालय आर-7, वृन्दावन सिटी विस्तार, अजमेर रोड, जयपुर	1291 / 1041	475	रकबा 0.07 हेक्ट में से रकबा 0.0475 हेक्ट.
कुल					0.0475

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी का आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 21-07-2023 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102726

दिनांक: 21/07/2023

लोक सूचना

मैसर्स शिवनीम रिटेल्स प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री नगलकिशोर गुप्ता पंजीकृत कार्यालय 467, गोपालपुरा बाईपास, सूर्य नगर लाल कोठी, गांधी नगर, जयपुर


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अनिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खरास सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	पीपला भरतसिंह, सांगानेर (जयपुर)	मैसर्स शिवनीम रिटेल्स प्रा. लि. पंजीकृत कार्यालय 467, गोपालपुरा बाईपास, सूर्य नगर लाल कोठी, गांधी नगर, जयपुर	1284 / 1045	520	रकबा 0.07 हेक्टे. में से रकबा 0.0520 हेक्टे.
				कुल	0.0520

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का राजस्थान नू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अनिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अनिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 21-07-2023 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-1715

दिनांक 21/7/2023

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 मीटर चौड़ी जोनल प्लान सड़कों से प्रभावित भूमि राजरव प्राम गोनेर तहसील तहसील सांगानेर के ख.नं. 2739 रकबा 1.17 हैक्ट. में से 3545.00 व.मी. 2785 रकबा 0.15 हैक्ट. में से 65.00 व.मी., ख.नं. 2786 रकबा 0.19 हैक्ट. में से 750.00 व.मी., ख.नं. 2788 रकबा 0.16 हैक्ट. में से 140.00 व.मी., ख.नं. 2789 रकबा 0.04 हैक्ट. में से 220.00 व.मी., ख.नं. 2790 रकबा 0.03 हैक्ट. सम्पूर्ण, ख.नं. 2791 रकबा 0.04 हैक्ट. सम्पूर्ण, ख.नं. 2792 रकबा 0.04 हैक्ट. में से 345.00 व.मी., ख.नं. 2793 रकबा 0.03 हैक्ट. में से 110.00 व.मी., ख.नं. 2794 रकबा 0.04 हैक्ट. सम्पूर्ण, ख.नं. 2795 रकबा 0.06 हैक्ट. सम्पूर्ण, ख.नं. 2796 रकबा 0.13 हैक्ट. में से 335.00 व.मी., ख.नं. 2797 रकबा 0.11 हैक्ट. में से 100.00 व.मी., ख.नं. 2798 रकबा 0.06 हैक्ट. सम्पूर्ण, ख.नं. 2799 रकबा 0.06 हैक्ट. में से 435.00 व.मी., ख.नं. 2806 रकबा 0.26 हैक्ट. में से 1665.00 व.मी., ख.नं. 2810 रकबा 0.11 हैक्ट. में से 200.00 व.मी., ख.नं. 2811 रकबा 0.16 हैक्ट. में से 780.00 व.मी., ख.नं. 2812 रकबा 0.25 हैक्ट. में से 2075.00 व.मी., ख.नं. 2814 रकबा 0.29 हैक्ट. में से 1855.00 व.मी., ख.नं. 2815 रकबा 0.42 हैक्ट. में से 1145.00 व.मी. कुल कितना 21 कुल रकबा 3.80 हैक्ट. में से प्रभावित रकबा 16065.00 व.मी. में से खातेदार हररुदेवी माली पुत्री ग्यारसीलाल हिस्सा 1/5, ओमप्रकाश पुत्र रामू हिस्सा 1/15, कालूराम पुत्र किशोर हिस्सा 3/70, जगदीश पुत्र किशोर हिस्सा 3/70, पूरणमल पुत्र रामू हिस्सा 1/15, बनवारी पुत्र गोपाल हिस्सा 1/15, रमेश पुत्र गोपाल हिस्सा 1/15, शंकर पुत्र किशोर हिस्सा 3/70, सोहन पुत्र किशोर हिस्सा 3/70, हजारीलाल पुत्र रामू हिस्सा 1/15, हरिनारायण पुत्र गोपाल हिस्सा 1/15 द्वारा अपने हिस्सा भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा वि क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/रथगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-14 कार्यालय में 07 दिवस में मथ समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयवाचिके पश्चात् कोई आपत्ति रवीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

राधिव,

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-13 जयपुर

विकास प्राधिकरण, जयपुर


क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102702 (SI)-2059

21/7/23
दिनांक: 21/07/2023

लोक सूचना

श्री KASHISH BUILHOME PVT. LTD TH. SHAYAR SINGH पुत्र श्री AMAR SINGH SHEKHAWAT जाति RAJPUT निवासी S-2 FIRST FLOOR NEW AATISH MARKET MANSROVER JAIPUR श्री BANNA RAM पुत्र श्री NATURAM जाति JAT निवासी VIKASH NAGAR C WARD NO. 12 JAIPUR ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का ECOFRINDLY HOUSH AND FARM HOUSE प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	निर्मित क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1.	मोरीजा, चौमू (जयपुर)	MS KASHISH BUILDHOME PVT.LTD	1708/4818	14300	1.43
2.			1733	5500	0.55
3.			1733/4840	2000	0.2
4.			1734	3700	0.37
5.			1738	12400	1.24
6.			1709	13800	1.38
7.			1732	2300	0.23
8.			1735	3000	0.3
9.			1736	6300	0.63
10.			BANNA RAM S/O NATHURAM	1701/1	5900



उपायुक्त एवं प्राधिकरण अधिकारी
जोन-13
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

11.	मोरीजा, चौमू (जयपुर)	BANNA RAM S/O NATHURAM	1712/1	3500	0.35
12.			1707/2	5800	0.58
13.			1712/2	3500	0.35
				कुल	8.20

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 21.07.2023 को जारी की गयी


 उपायुक्त एवं प्राधिकारी जयपुर
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

**कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-01
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर**

समांक: LU2012/JDA/2023-24/102650

दिनांक: 21/01/2023

लोक सूचना

श्री ASIAN INTERNATIONAL AUTHORISED SIGNATORY RAJENDRA DAGA पुत्र श्री PRASHAN CHAND DAGA जाति JAIN निवासी 167 JANGID BHAWAN M.I. ROAD JAIPUR-302001
श्री CHANDRA PRAKASH DAGA पुत्र श्री KISHAN CHAND DAGA जाति JAIN निवासी AMOLAK BHAWAN NEELAMGIRI GARDEN OPP. BALDEV PLAZA AJMER ROAD JAIPUR-302006
श्री KISHAN CHAND DAGA पुत्र श्री LATE. UMRAO CHAND DAGA जाति JAIN निवासी AMOLAK BHAWAN NEELAMGIRI GARDEN OPP. BALDEV PLAZA AJMER ROAD JAIPUR-302006
श्री KUSHAL CHAND पुत्र श्री AMOLAK CHAND जाति JAIN निवासी A-11 VEER DURGA DAS NAGAR PALI RAJASTHAN
श्री PADAM CHAND DAGA पुत्र श्री AMOLAK CHAND DAGA जाति JAIN निवासी 33-A VEER DURGADAS NAGAR PALI RAJASTHAN
श्री PRASHAN CHAND DAGA पुत्र श्री UMRAO CHAND DAGA जाति JAIN निवासी AMOLAK BHAWAN NEELAMGIRI GARDEN OPP. BALDEV PLAZA AJMER ROAD JAIPUR-302006
श्री PRASHAN CHAND DAGA HUF पुत्र श्री UMRAO CHAND DAGA जाति JAIN निवासी AMOLAK BHAWAN NEELAMGIRI GARDEN OPP. BALDEV PLAZA AJMER ROAD JAIPUR-302006
ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का यात्रिज्य प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिवृत्ति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-


क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	मदरामपुरा, जयपुर (जयपुर)	ASIAN INTERNATIONAL PARTNERSHIP, KISHAN CHAND DAGA, PRASHAN CHAND DAGA HUF AND PRASHAN CHAND DAGA	296	379	0.0379
2.	मदरामपुरा, जयपुर (जयपुर)	ASIAN INTERNATIONAL PARTNERSHIP, KISHAN CHAND DAGA, PRASHAN CHAND DAGA HUF AND PRASHAN CHAND DAGA	297	885	0.0885
3.	मदरामपुरा, जयपुर (जयपुर)	ASIAN INTERNATIONAL PARTNERSHIP, KISHAN CHAND DAGA, PRASHAN CHAND DAGA HUF	299	1265	0.1265

		AND PRASHAN CHAND DAGA			
4.	मदरामपुरा, जयपुर (जयपुर)	ASIAN INTERNATIONAL PARTNERSHIP, KUSHAL CHAND, KISHAN CHAND DAGA, CHANDRA PRAKASH DAGA, PRASHAN CHAND DAGA	298	759	0.0759
5.	मदरामपुरा, जयपुर (जयपुर)	ASIAN INTERNATIONAL PARTNERSHIP, KUSHAL CHAND, KISHAN CHAND DAGA, CHANDRA PRAKASH DAGA, PRASHAN CHAND DAGA	298/468	1391	0.1391
6.	मदरामपुरा, जयपुर (जयपुर)	KISHAN CHAND DAGA, PADAM CHAND DAGA, PRASHAN CHAND DAGA	298/435	632	0.0632
7.	मदरामपुरा, जयपुर (जयपुर)	KISHAN CHAND DAGA, PADAM CHAND DAGA, PRASHAN CHAND DAGA	300	1391	0.1391
8.	मदरामपुरा, जयपुर (जयपुर)	KISHAN CHAND DAGA	300/436	1265	0.1265
				कुल	0.7967

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 21-07-2023 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी जोन-01
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2023/डी- 9284

दिनांक:- 21/7/20

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 200 फीट चौड़ी रोड जोनल प्लान सडक (खातीपुरा स्टेशन से 160 फीट जीरोला को जोडने वाली) में आ रही भूमि राजस्व ग्राम सिरोली तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 1778 रकबा 0.25 हैक्टे. में से प्रभावित रकबा 1840 व.मी. खसरा नम्बर 1179 रकबा 0.21 हैक्टे. में से प्रभावित रकबा 2060 व.मी. खसरा नम्बर 1780 रकबा 0.10 हैक्टे. में से सम्पूर्ण प्रभावित क्षेत्रफल 1000 व.मी. कुल कित्ता 3 प्रभावित रकबा 4900 व.मी. के खातेदार श्री गोपी पुत्र चौथू हि. 1/12 नाथूलाल पुत्र चौथू हि. 1/12 फुलचन्द पुत्र चौथू हि. 1/12 निवासी सिरोली तहसील सांगानेर, जयपुर की भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुये राज्य सरकार की प्रचलित नीति/ आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी सम्बन्धित जनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व सम्बन्धित विवाद हो तो कृपया उपायुक्त जोन-9 कार्यालय, पार्किंग बिल्डिंग, तृतीय तल, कमरा नम्बर 306, जविप्रा, जयपुर में 07 दिवस में मय समुचित सम्बन्धित दस्तावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

प्रतिलिपि:-जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय व स्थानीय स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशित करावें।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in


क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-1715

दिनांक 21/1/2023

सार्वजनिक नोटिस


जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 गीटर चौड़ी जोनल प्लान राइकों से प्रभावित भूमि राजस्व ग्राम गोनोर तहसील तहसील सांगानेर के ख.नं 2739 रकबा 1.17 हैक्ट. में से 3545.00 व.मी. 2785 रकबा 0.15 हैक्ट. में से 65.00 व.मी., ख.नं. 2786 रकबा 0.19 हैक्ट. में से 750.00 व.मी., ख.नं. 2788 रकबा 0.16 हैक्ट. में से 140.00 व.मी., ख.नं. 2789 रकबा 0.04 हैक्ट. में से 220.00 व.मी., ख.नं. 2790 रकबा 0.03 हैक्ट. सम्पूर्ण, ख.नं. 2791 रकबा 0.04 हैक्ट. सम्पूर्ण, ख.नं. 2792 रकबा 0.04 हैक्ट. में से 345.00 व.मी., ख.नं. 2793 रकबा 0.03 हैक्ट. में से 110.00 व.मी., ख.नं. 2794 रकबा 0.04 हैक्ट. सम्पूर्ण, ख.नं. 2795 रकबा 0.06 हैक्ट. सम्पूर्ण, ख.नं. 2796 रकबा 0.13 हैक्ट. में से 335.00 व.मी., ख.नं. 2797 रकबा 0.11 हैक्ट. में से 100.00 व.मी., ख.नं. 2798 रकबा 0.06 हैक्ट. सम्पूर्ण, ख.नं. 2799 रकबा 0.06 हैक्ट. में से 435.00 व.मी., ख.नं. 2806 रकबा 0.26 हैक्ट. में से 1665.00 व.मी., ख.नं. 2810 रकबा 0.11 हैक्ट. में से 200.00 व.मी., ख.नं. 2811 रकबा 0.16 हैक्ट. में से 780.00 व.मी., ख.नं. 2812 रकबा 0.25 हैक्ट. में से 2075.00 व.मी., ख.नं. 2814 रकबा 0.29 हैक्ट. में से 1855.00 व.मी., ख.नं. 2815 रकबा 0.42 हैक्ट. में से 1145.00 व.मी. कुल कित्ता 21 कुल रकबा 3.80 हैक्ट. में से प्रभावित रकबा 16065.00 व.मी. में से खातेदार हरूदेवी माली पुत्री ग्यारसीलाल हिस्सा 1/5, ओमप्रकाश पुत्र रामू हिस्सा 1/15, कालूराम पुत्र किशोर हिस्सा 3/70, जगदीश पुत्र किशोर हिस्सा 3/70, पूरणमल पुत्र रामू हिस्सा 1/15, बनवारी पुत्र गोपाल हिस्सा 1/15, रमेश पुत्र गोपाल हिस्सा 1/15, शंकर पुत्र किशोर हिस्सा 3/70, सोहन पुत्र किशोर हिस्सा 3/70, हजारीलाल पुत्र रामू हिस्सा 1/15, हरिनारायण पुत्र गोपाल हिस्सा 1/15 द्वारा अपने हिस्सा भूमि को जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रयत्न नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/रथगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-14 कार्यालय में 07 दिवस में गय समुचित संबंधित दरतावेजात आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयबाधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।


राजिब,

जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली।


उपायुक्त जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

राम किशोर ब्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:
dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा.1/जोन-1/2023/डी- 2645

दिनांक:- 21/7/23

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा

एशियन इन्टरनेशनल जरिए अधिकृत प्रतिनिधि राजेन्द्र डागा पुत्र श्री प्रसन्न चन्द डागा द्वारा खसरा न. 296 रकबा 0.0379 है., 297 रबा 0.3885 है., 299 रकबा 0.1265 है., 298 रकबा 0.0759 है., 298/468 रकबा 0.1391 है., 298/435 रकबा 0.0632 है., 300 रकबा 0.1391 है., 300/436 रकबा 0.1265 है. कुल कितना रकबा 0.7967 है. अर्थात् 7967 वर्गमी. भूमि ग्राम सुदरामपुरा तह. एवं जिला जयपुर के कुल आवेदित रकबा 7967 वर्गमीटर की 90 ए के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया। संलग्न अनुसार लोकसूचना प्रकाशन करावे।

उपायुक्त, जोन-1
जविप्रा, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-01
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102658

दिनांक: 21/07/2023

लोक सूचना

श्री ASIAN INTERNATIONAL AUTHORISED SIGNATORY RAJENDRA DAGA पुत्र श्री PRASHAN CHAND DAGA जाति JAIN निवासी 157 JANGID BHAWAN M.I. ROAD JAIPUR-302001

श्री CHANDRA PRAKASH DAGA पुत्र श्री KISHAN CHAND DAGA जाति JAIN निवासी AMOLAK BHAWAN NEELAMGIRI GARDEN OPP. BALDEV PLAZA AJMER ROAD JAIPUR-302006

श्री KISHAN CHAND DAGA पुत्र श्री LATE. UMRAO CHAND DAGA जाति JAIN निवासी AMOLAK BHAWAN NEELAMGIRI GARDEN OPP. BALDEV PLAZA AJMER ROAD JAIPUR-302006

श्री KUSHAL CHAND पुत्र श्री AMOLAK CHAND जाति JAIN निवासी A-11 VEER DURGA DAS NAGAR PALI RAJASTHAN

श्री PADAM CHAND DAGA पुत्र श्री AMOLAK CHAND DAGA जाति JAIN निवासी 33-A VEER DURGADAS NAGAR PALI RAJASTHAN

श्री PRASHAN CHAND DAGA पुत्र श्री UMRAO CHAND DAGA जाति JAIN निवासी AMOLAK BHAWAN NEELAMGIRI GARDEN OPP. BALDEV PLAZA AJMER ROAD JAIPUR-302006

श्री PRASHAN CHAND DAGA HUF पुत्र श्री UMRAO CHAND DAGA जाति JAIN निवासी AMOLAK BHAWAN NEELAMGIRI GARDEN OPP. BALDEV PLAZA AJMER ROAD JAIPUR-302006

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्य प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वाचन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-


क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	मदरामपुरा, जयपुर (जयपुर)	ASIAN INTERNATIONAL PARTNERSHIP, KISHAN CHAND DAGA, PRASHAN CHAND DAGA HUF AND PRASHAN CHAND DAGA	296	379	0.0379
2.	मदरामपुरा, जयपुर (जयपुर)	ASIAN INTERNATIONAL PARTNERSHIP, KISHAN CHAND DAGA, PRASHAN CHAND DAGA HUF AND PRASHAN CHAND DAGA	297	885	0.0885
3.	मदरामपुरा, जयपुर (जयपुर)	ASIAN INTERNATIONAL PARTNERSHIP, KISHAN CHAND DAGA, PRASHAN CHAND DAGA HUF	299	1265	0.1265

		AND PRASHAN CHAND DAGA				
4.	मदरामपुरा, जयपुर (जयपुर)	ASIAN INTERNATIONAL PARTNERSHIP, KUSHAL CHAND, KISHAN CHAND DAGA, CHANDRA PRAKASH DAGA, PRASHAN CHAND DAGA	298		759	0.0759
5.	मदरामपुरा, जयपुर (जयपुर)	ASIAN INTERNATIONAL PARTNERSHIP, KUSHAL CHAND, KISHAN CHAND DAGA, CHANDRA PRAKASH DAGA, PRASHAN CHAND DAGA	298/468		1391	0.1391
6.	मदरामपुरा, जयपुर (जयपुर)	KISHAN CHAND DAGA, PADAM CHAND DAGA, PRASHAN CHAND DAGA	298/435		632	0.0632
7.	मदरामपुरा, जयपुर (जयपुर)	KISHAN CHAND DAGA, PADAM CHAND DAGA, PRASHAN CHAND DAGA	300		1391	0.1391
8.	मदरामपुरा, जयपुर (जयपुर)	KISHAN CHAND DAGA	300/436		1265	0.1265
					कुल	0.7967

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिनों के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **21-07-2023** को जारी की गयी।


प्राधिकृत अश्विनी जोषी-01
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी- 1488

दिनांक 21/7/2023

प्रस्तावित भू- उपयोग उपान्तरण


राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन नियम - 2010 व राजस्थान नगरीय क्षेत्र भू- उपयोग परिवर्तन (संशोधन) नियम- 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न भूखण्डों के आवेदकों द्वारा अपनी सहमति का भू- उपयोग परिवर्तन करवाये जाने हेतु आवेदन किये गये हैं, जिनका विस्तृत विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jda.urban.rajasthan.gov.in एवं जोन कार्यालय में देखा जा सकता है। इस संबंध में किसी व्यक्ति, संस्था आदि को कोई आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में मय दस्तावेज संबंधित उपायुक्त जोन कार्यालय अथवा सचिव, जविप्रा को प्रस्तुत करें।

क्र. सं.	जोन	आवेदक का नाम	भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	पट्टा विलेख में वर्णित भू उपयोग	योजना का नाम (गृ.नि. स.स./निजी खातेदारी योजना)	भूखण्ड क्षेत्रफल	मास्टर प्लान- 2025/ जोनल विकास योजना अनुसार भू उपयोग	उपयोग जिसके लिए आवेदन किया गया
1	7	श्री अभिमन्यु सिंह आढा पुत्र स्व. श्री बसन्त आढा	श्री अभिमन्यु सिंह आढा पुत्र स्व. श्री बसन्त आढा	179	आवासीय	राठौड़ नगर (श्री छत्रपति शिवाजी गृ. नि.स.स.)	311.11 व. ग.	आवासीय	मिश्रित

उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक- नगर आयोजना, जविप्रा, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक- मा. प्लान, जविप्रा, जयपुर।
3. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञापित के लघुरूप का निम्नानुसार दो दैनिक राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाकर समाचार पत्रों की प्रतियां इस कार्यालय को प्रेषित करें।


उपायुक्त जोन-7
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

जयपुरविकासप्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर
प्रारूप 13
{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा
90-क (8) के अन्तर्गत

संख्या 1491

दिनांक 21/11/2023

लोकसूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्नवर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 31/12/2021 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्तभूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद् दारा सूचित किया जाता है, कि आप की सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण श्री ओम शिव गृ.नि.स.स.लि. की योजना श्री विजय नगर के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8)के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सपटित धारा 90ए (5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्नवर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सपटित धारा 90ए(5) एवं सपटित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर)	स्वामित्व (नवीन जमाबन्दी अनुसार)
बडारामा तह. जयपुर	301	8.6628	1 गणेश पुत्र सेवा हिस्सा-1/4 जाति-अहीर(यादव) देह खातेदार 2 नैहरू गृ.नि.स.स.लि. हिस्सा-11/684 3 नानू पुत्र रामदेव हिस्सा-1/2 जाति-अहीर(यादव) देह खातेदार 4 विजय कुमार शर्मा पुत्र श्री शंकर लाल हिस्सा-5/171 शर्मा जाति-ब्राह्मण देह खातेदार 5 शंकर लाल शर्मा पुत्र गौरीशंकर शर्मा हिस्सा-10/171 जाति-अहीर(यादव) देह खातेदार 6 संजीव कुमार चौधरी पुत्र रणधीर सिंह हिस्सा-10/171 जाति-जाट सा देह खातेदार 7 सुनील कुमार शर्मा पुत्र बद्रीप्रसाद हिस्सा-5/171 जाति-अहीर(यादव) देह खातेदार 8 सुरेन्द्र कुमार चौधरी पुत्र चौधरी राम चन्दर जाति-अहीर(यादव)सा देह खातेदार

प्रशासन शहरो के संग अभियान के अन्तर्गतनगरीय विकास, आवासन एवंस्वायत्त शासनविभाग, राजस्थानसरकार के आदेशक्रमांक प17(1)नविवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुरदिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखनेवाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा नं. पी बी-एसएफ-218 डी, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जविप्रा में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

— S D —
प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-07 जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सूचना एवंजन सम्पर्क अधिकारी, ज.वि.प्रा., जयपुर को भेज कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवा कर अद्योहस्ताक्षर कर्ता को भी अवगत करवाने का श्रम करावें।
2. तहसीलदार जयपुर

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
उपायुक्त-07 जविप्रा, जयपुर
जोन-7, जविप्रा, जयपुर




जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

28	श्री बुद्धि प्रकाश/श्री सुजाराम	13
29	श्री हीरालाल भट्टड/श्री रामनारायण भट्टड	28
30	श्री गोविन्द शर्मा	38
31	श्रीमती रमा भार्गव/श्री भेरुप्रकाश भार्गव	44
32	श्री बुलाकी प्रसाद/श्री चर्तुभुज शर्मा	29
33	श्री मूल चन्द गेलडा/श्री सम्पत राम	34
34	श्री बजरग लाल ओझा/श्री सत्यनारायण ओझा	37
35	श्री मशाराम चौधरी/श्री जेठाराम चौधरी	35
36	श्री शिवकुमार बजाज/श्री धनसुख दास बजाज	43
37	श्री श्रीराम यादव/श्री हरसहाय यादव	48
38	श्री रामावतार/श्री सीताराम	3
39	श्री बिरदी चंद/श्री मांगू गुर्जर	14
40	श्री चुन्नीलाल पाडया/श्री बरदी राम पाडया	30
41	श्री सीताराम मोदी/श्री लक्ष्मीनारायण मोदी	42
42	श्री दूलदास/श्री गोविन्द दास स्वामी	49
43	श्री शान्तिलाल कांकरिया/श्री झंवर लाल महाजन	1
44	श्री प्रवीण कुमार चौपडा/श्री झंवर लाल महाजन	2
45	श्री बट्टी प्रसाद ओझा/श्री थावतराम ओझा	31
46	श्री मोहम्मद खा/श्री पिरू खां	32
47	श्री निवास थिरानी/श्री राधा किशन थिरानी	33
48	श्री लक्ष्मणा राम/श्री जीवनराम	36
49	श्री रामपाल दास/श्री चैला धनीराम दास	47

यदि किसी भी व्यक्ति, संस्थान को उक्त के संबंध में कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में उपायुक्त-10, जविप्रा, जयपुर के कार्यालय में प्रस्तुत करे अन्यथा मियाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी तथा नियमानुसार अग्रिम की कार्यवाही कर दी जावेगी। "

उक्तानुसार विज्ञप्ति का प्रकाशन नियमानुसार समाचार पत्र में करवाने का श्रम करावे एवं 1 प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्यालय में भिजवाने का श्रम करें।


उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
उपायुक्त (जोन-10)
जविप्रा, जयपुर।
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-10/2023/डी-1524
दिनांक: 21/7/23



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ. नोट

विषय: जय गणेश गृ.नि.स.स. की योजना गणेश विहार, ग्राम बदनपुरा तहसील जयपुर के आवेदित भूखण्डों की सूची प्रकाशित कराये जाने के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जय गणेश गृ.नि.स.स. की योजना गणेश विहार, ग्राम बदनपुरा तहसील जयपुर की लीजडीड/पट्टा जारी किये जाने हेतु अपंजीकृत दस्तावेजों/वसीयत/ईकरारनामा/मृत्यु प्रमाण पत्र आदि के आधार पर आवेदन प्राप्त हुये हैं जिसकी सूची निम्नानुसार है:-

क्र.स.	नाम	भूखण्ड संख्या
1	श्री प्रकाश बागडा/श्री प्रताप बागडा	10
2	श्री शंकर लाल/श्री नानूराम	11
3	श्री रामप्रताप/श्रीनाराण जाट	15
4	श्री विनोद कुमार चाण्डक/श्री घनसुखदास चाण्डक	19
5	श्री मांगीलाल बोथरा/श्री लक्ष्मी चन्द बोथरा	20
6	श्री मनमोहन चाण्डक/श्री लक्ष्मीचन्द बोथरा	41
7	श्री अशोक नाहटा/श्री पन्नालाल नाहटा	23
8	श्री हनुमान सिंह/श्री उम्मेदसिंह	5
9	श्री भंवरलाल यादव/श्री हरबख्श यादव	8
10	श्रीमती शान्ता शर्मा/प्रद्युमन ओझा	16
11	श्री भंवर लाल बजाज/श्री घनसुख दास बजाज	17
12	श्री नथमल राखेचा/श्री जेठमल राखेचा	21
13	श्री मिलाप चन्द बोथरा/श्री नारायण चन्द बोथरा	22
14	श्री प्रदीप बोथरा/श्री नारायण बोथरा	25
15	श्री हनुमान सहाय/श्री जीवन राम यादव	9
16	श्री जुगल सिंह/श्री उदत सिंह	40
17	श्री सुमेर लाल दपतरी/श्री चांदमल दपतरी	46
18	श्री बृज मोहन/श्री लक्ष्मीनारायण	12
19	श्री रूप कुमार चौपडा/श्री गुलाब चन्द चौपडा	18
20	श्री भीखचन्द जैन/श्री भोमराज जैन	26
21	श्री वीरेन्द्रनाथ गुप्ता/श्री त्रिलोकी नाथ गुप्ता	39
22	श्री आनन्दीलाल/श्री महादेव यादव	6
23	श्रीमती भंवरी देवी नाहटा/श्री पन्ना लाल नाहटा	24
24	श्री बाबूलाल जैन/श्री भोमराज जैन	27
25	श्री जगदीश तोतला/श्री सुवालाल तोतला	45
26	श्री महादेव यादव/श्री नारायण यादव	4
27	श्री हनुमान नाई/श्री रामनाई	7

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जयपुर-10

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर


उपायुक्त(जयपुर-10) कार्यालय, जयपुर, राम किशोर व्यास भवन, इन्द्रा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष नं. 0141.2569696 एक्सटेंशन नं. 7118 E-mail :-



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in



-:सूचना:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	मूखण्ड संख्या	मूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	कमल कान्त शर्मा नितिन बंसल	मांगीलाल शर्मा	A 28	166.66	हसनपुरा-ए गृ.नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	अपंजीकृत इकरारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
2	सुनीता शर्मा	बद्रीनारायण शर्मा	C 82	205.80	हसनपुरा-ए गृ.नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	अपंजीकृत इकरारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
3	जगदीश शर्मा	राधेश्याम शर्मा	C 75	233.50	हसनपुरा-ए गृ.नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	अपंजीकृत इकरारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
4	विशाल शर्मा	मंगल राम शर्मा	C 63	295.20	हसनपुरा-ए गृ.नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	अपंजीकृत इकरारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
5	जगदीश शर्मा	स्वयं	C81	209.16	हसनपुरा-ए गृ.नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
6	राम किशोर शर्मा	स्वयं	C 87	204.58	हसनपुरा-ए गृ.नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
7	ममता शर्मा	स्वयं	B 07	111.11	हसनपुरा-ए गृ.नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
8	रामकिशोर शर्मा	ग्यारसी देवी	C 62	339.44	हसनपुरा-ए गृ.नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	अपंजीकृत इकरारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
9	सुनील शर्मा	ग्यारसी देवी	C 50	260.90	हसनपुरा-ए गृ.नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	अपंजीकृत इकरारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
10	राकेश गुप्ता	स्वयं	A 153 A	134.28	हसनपुरा-ए गृ.नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
11	राजेन्द्र सिधल	मुरारीलाल गुप्ता	B 136	100.00	हसनपुरा-ए गृ.नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	पंजीकृत विक्रय पत्र, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
12	शशि गुप्ता	स्वयं	B 127	100.00	हसनपुरा-ए गृ.नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
13	राजवीर कोर	राजेन्द्र गोयल	A 76	138.88	हसनपुरा-ए गृ.नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	पंजीकृत विक्रय पत्र, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
14	राजवीर कोर	विकास गोयल	A 77	138.88	हसनपुरा-ए गृ.नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	पंजीकृत विक्रय पत्र, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
15	बीना सैन	लालचन्द्र शर्मा	A 144	60.00	हसनपुरा-ए गृ.नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	पंजीकृत विक्रय पत्र, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
16	प्रकाश सिंह	शंकर लाल शर्मा	B 145	63.88	हसनपुरा-ए गृ.नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	पंजीकृत विक्रय पत्र, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
17	वर्षा सैनी	राजेश सिधल	B 139	97.77	हसनपुरा-ए गृ.नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	पंजीकृत विक्रय पत्र, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
18	जुगल किशोर	राम सहाय	C 14	205.00	हसनपुरा-ए गृ.नि.स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	अपंजीकृत इकरारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एकस्टेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

N.P.-V.N.



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

Asadi Ka
Amrit Mahotsav

19	पूजा गुप्ता	अनिल फतेहपुरिया	A 110 & A 111A	861.28	हसनपुरा-ए गृ.नि. स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	अपंजीकृत इकरारनामा, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
20	पीयूष शर्मा	लक्ष्मी देवी	A 195	322.67	हसनपुरा-ए गृ.नि. स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
21	रोशन शर्मा	स्वयं	A 166	200.00	हसनपुरा-ए गृ.नि. स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
22	छोटी देवी शर्मा	स्वयं	A 167 & A 168	279.58	हसनपुरा-ए गृ.नि. स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
23	ज्ञान चन्द गुप्ता	जगदीश प्रसाद शर्मा	B 92	75.00	हसनपुरा-ए गृ.नि. स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	पंजीकृत विक्रय पत्र, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
24	कृष्णा कुकरेजा	जगदीश प्रसाद शर्मा	B 91	75.00	हसनपुरा-ए गृ.नि. स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	पंजीकृत विक्रय पत्र, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
25	प्रभा शर्मा	राधेश्याम गुप्ता	B 133	100.00	हसनपुरा-ए गृ.नि. स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	पंजीकृत विक्रय पत्र, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
26	शिखा गुप्ता	स्वयं	B 124	100.00	हसनपुरा-ए गृ.नि. स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	पंजीकृत विक्रय पत्र, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
27	सुरेश चन्द अग्रवाल	सुषमा सिंह	B 94	75.00	हसनपुरा-ए गृ.नि. स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	पंजीकृत विक्रय पत्र, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।
28	कृष्णा कुकरेजा	सुषमा सिंह	B 93	75.00	हसनपुरा-ए गृ.नि. स.स.लि.	विनायक सरोवर	लीजडीड	पंजीकृत विक्रय पत्र, आवंटन पत्र, रसीद, साईट प्लान इत्यादि।

उपायुक्त
जोन-पीआरएन (दक्षिण-द्वितीय)
जविप्रा, जयपुर।

जनसम्पर्क अधिकारी,
जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक/ज.वि.प्रा./उपा./जोन-पी.आर.एन.(दक्षिण-द्वितीय)/2023/डी- 1964
दिनांक 21/7/2023

सेक्टर-12, मानसरोवर स्कीम, जयपुर-302020

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

N.P.-V.N.